पत्र सं०–6 एस०एस०(6)41/2021– 4197/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

विषय– **चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु पंचम किस्त की ₹ 2.715 करोड़ (दो करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार) मात्र केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.8101 करोड़ (एक करोड़ इक्यासी लाख एक हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 4.5251 करोड़ (चार करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2232, दिनांक–21.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) स्वीकृत तथा संचालित मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास की योजना को पूर्ण करने हेतु पंचम किस्त की ₹ 2.715 करोड़ (दो करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार) मात्र केन्द्रांश मदर सैंक्शन राशि तथा इसके समानुपातिक ₹ 1.8101 करोड़ (एक करोड़ इक्यासी लाख एक हजार) मात्र राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹ 4.5251 करोड़ (चार करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या–2579, दिनांक–22.09.2020 द्वारा बिहार के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्रांश ₹ 34.1834 करोड़ (चौतीस करोड़ अठारह लाख चौतीस हजार) तथा राज्यांश ₹ 22.7889 करोड़ (बाईस करोड़ अठहतर लाख नवासी हजार) अर्थात् कुल ₹ 56.9723 करोड़ (छप्पन करोड़ संतानवे लाख तेईस हजार) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त की गई ₹ 17.0917 करोड़ (सतरह करोड़ नौ लाख सतरह हजार) तथा राज्य सरकार के समानुपातिक राज्यांश राशि ₹ 11.39447

करोड़ (ग्यारह करोड़ उनचालिस लाख चौवालिस हजार सात सौ) अर्थात् कुल ₹ 28.48617 करोड़ (अठाईस करोड़ अड़तालिस लाख इकसठ हजार सात सौ) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 के समापन के पश्चात् विभागीय आदेश संख्या–6 एस०एस०(6)11/2020–1571, दिनांक–01.07.2021 के द्वारा उक्त अवयवहृत राशि ₹17.0917 करोड केन्द्रांश तथा ₹11.39447 करोड़ राज्यांश अर्थात कुल ₹ 28.48617 करोड़ राशि का पुनर्वैधिकरण कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–27.09.2023 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त ₹ 8.54585 करोड़ (आठ करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹5.6973 करोड़ (पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तीहत्तर हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹14.24315 करोड़ (चौदह करोड़ चौबीस लाख इकतीस हजार पाँच सौ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना कार्यान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–13.12.2024 तथा F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–17.01.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु तृतीय किस्त की ₹ 2.10 करोड़ (दो करोड़ दस लाख मात्र) केन्द्रांश राशि एस0एन0ए0–स्पर्श में विमुक्त मदर सैंक्शन (Mother Sanction) तथा इसके समानुपातिक ₹1.40 करोड़ (एक करोड़ चालीस लाख मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹3.50 करोड़ (तीन करोड़ पचास लाख मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना का क्रियान्वयन किया गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–28.04.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु चतुर्थ किस्त की विमुक्त ₹3.085 करोड़ (तीन करोड़ आठ लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि तथा इसके समानुपातिक ₹2.0567 करोड़ (दो करोड़ पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र) राज्यांश राशि अर्थात कुल ₹5.1417 करोड़ (पाँच करोड़ चौदह लाख सतरह हजार मात्र) राशि की लागत पर योजना स्वीकृत एवं कार्यान्वित है।

3. इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार द्वारा पत्र संख्या F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–09.09.2025 के माध्यम से उक्त प्रशासनिक स्वीकृत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु पंचम किस्त की ₹ 2.715 करोड़ (दो करोड़ इकहत्तर लाख पचास हजार मात्र) केन्द्रांश राशि मदर सैंक्शन (Mother Sanction) के रूप में एस0एन0ए0–स्पर्श प्रणाली में विमुक्त की गई है।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–ब०–15/बी०एस०जी०–57/25/410/वि०, दिनांक–12.06.2025 के द्वारा SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शामिल है) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार "Component wise (General, SCSP & TSP) एक हीं HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e- Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।" साथ ही, उक्त व्यवस्था के आलोक में "एक ही HoA से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-payment हेतु विपत्र (Bill) बनाने के लिए राज्यांश मद की सम्पूर्ण राशि को उसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में हस्तांतरित

कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है'' के आलोक में मत्स्य निदेशालय के आदेश संख्या–म/यो०–23/2024–2997, दिनांक–28.07.2025 में निहित प्रावधान के तहत इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन निम्नरूपेण किया जाएगा–

बजट उपबंध –

(i) इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत लाभुक आधरित घटक के तहत् अन्य (सामान्य) श्रेणीं, सभी श्रेणी के महिला, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुको के लिए अनुमान्य केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की अनुदान राशि का 60:40 अनुपात में विकलन मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(ii) उल्लेखिनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 (2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 को छोड़कर) में केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम एवं अतिरिक्त चरण में प्रशासनिक स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत लाभुक आधारित घटक के तहत अन्य (सामान्य) श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के लाभुकों को देय केन्द्रांश एवं राज्यांश अनुदान (सब्सिडी) राशि का 60:40 अनुपात में विकलन विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. SNA SPARSH Module में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का e- Payment–इस केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभुक आधारित घटक के तहत लाभार्थियों को देय (अनुमान्य) राज्यांश राशि की सम्पूर्ण राशि को इसी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रांश विपत्र कोड 02–2405001010219 के विषय शीर्ष–0219.33.01–सब्सिडी मद में व्यय हेतु स्वीकृत एवं आवंटित राशि से अन्य (सामान्य) श्रेणी सभी श्रेणी के महिला, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए e-Payment हेतु विपत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।

6. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ही अनुदान की राशि देय होगा। विभिन्न अवयवों की इकाई लागत तथा देय अनुदान की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित है जिसके अनुसार ही अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी अवयव की लागत योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होती है तो अतिरिक्त व्यय राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वयं स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जाएगा।

7. इस योजनान्तर्गत के सफल कार्यान्वयन हेतु मत्स्य निदेशालय के पत्रांक–म०यो०–17/2020–107, दिनांक–27 जनवरी, 2021, म०यो०–17/2020(खंड–I)–1337, दिनांक–8 जुलाई, 2022, म०यो०–17/2020 (खंड–I)–527, दिनांक–30 मार्च, 2024 तथा म०यो०–17/2020(खंड–I)–267, दिनांक–15 जनवरी, 2025 द्वारा निर्गत तथा भविष्य में निर्गत होने वाले क्रियान्वयन अनुदेश की अनुमान्यता होगी।

8. Department of Expenditure, PFMS Division, Ministry of Finance, Govt. Of India द्वारा "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber of Reserve Bank of India (RBI) से सम्बन्धित निर्गत कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum)

F.No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13 जुलाई, 2023 तथा भविष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग, बिहार, पटना) द्वारा निर्गत करने वाले दिशा–निर्देश से इस योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि की निकासी/व्यय किये जाने वाले राशि अच्छादित होगी।

9. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि का प्रबंधन और व्यय प्रगतिशील तरीके से समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण (Real Time System of Integrated Quick Transfers) ढांचे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पी०एफ०एम०एस०–एस०एन०ए० स्पर्श (Public Financial Management System-SNA SPARSH), राज्य आई०एफ०एम०आई०एस० (State Integrated Financial Management Information System) और भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के ई–कुबेर प्लेटफ़ॉर्म (e-kuber platform) शामिल होंगे।

10. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या–F.No.J-117012/13/2020-Fy(E-17011), दिनांक–09.09.2025 (अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न) के कंडिका–4 के अनुसार "The funds on category may change based on the actual requirment by the state on time to time and may incure expenditure of fund allocated in a year to another year irrespective of fund earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, and 2024-25 for speedy implementation of ongoing Projects under PMMSY" की अनुमान्यता होगी।

11. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अधिसूचना संख्या म० योजना–08/2021–313, दिनांक–02 मार्च, 2022 के तहत प्रदत्त शक्ति के आलोक में निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनिकी समिति द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु समुचित निर्णय लिया जाएगा अथवा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval and Monitoring Committee) के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

12. इस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्य के ससमय उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा जिलों के मांग तथा उपलब्ध स्वीकृत राशि को दृष्टिपथ में रखते हुए जिलों को किस्तों में व्यय हेतु लिमिट राशि आवंटित किया जायेगा। लेकिन लिमिट राशि का आवंटन एवं व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।

13. साथ ही, जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर–जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा। इस के लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

14. प्रस्तावित इस देयता (Liability) योजना का क्रियान्वयन तत्समय निर्गत राज्यादेश में निहित प्रावधान के तहत की जाएगी।

15. योजनान्तर्गत पूर्व में जिलों को संसूचित अवयवार, श्रेणीवार, जिलावार लक्ष्य की अनुमान्यता होगी।

16. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

17. इस योजनान्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेन्सी (Implementing Agency) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र मत्स्य निदेशालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे। साथ ही, व्यय की गई राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे।

20. यह स्कीम केन्द्र प्रायोजित चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)41/2021 के पृष्ठ–81/टि० एवं दिनांक–16.09.2025.

21. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)41/2021 के पृष्ठ–81/टि० तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–12.09.2025.

22. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

18/9/25

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

E\Sanjay Kumar\Yojna.\25-26\Sanlekh-16\Fish, 11-09-2025.

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित उपायुक्त, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)41/2021– 4197 /पटना–15, दिनांक–18/9/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/9/25

सरकार के अपर सचिव

(अनुलग्नक–I)

2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु (केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृत) वर्ष 2020–21 के प्रथम चरण के पंचम किस्त PFMS linked SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित धनराशि के लिए वृहद, लघु एवं उप शीर्ष बजट विवरणी कोषागार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची तथा निकासी/व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	वृहद, मुख्य, लघु, उपशीर्ष एवं विपत्र कोड	विषय शीर्ष	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
(क)	मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष –0219–नीली क्रांतिः समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड–02.2405001010219 **(केन्द्रांश)**, पी०एफ०एम०एस० कोड– 3890 **(अन्य श्रेणी, सभी श्रेणी के महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभुकों हेतु अनुदान क्रमशः 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत)**	0219–33.01–सब्सिडी	452.510	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/ जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	कोषागार, (सभी)।
		कुल योग :–	**452.510**		

(चार करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार) मात्र।

4197
18/9/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक : II

95

फाइल सं / F. No. j-117012/13/2020-Fy- (E-17011)
भारत सरकार / Government of India
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्रालय/
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
मत्स्य पालन विभाग / Department of Fisheries

चंद्रलोक भवन, पहली मंजिल/ Chanderlok Building,1st Flo
36, जनपथ, नई दिल्ली/ 36, Janpath, New Dell
दिनांक/Dated the 9th September,20

To

The Principal Secretary
Animal and Fisheries Resource Department,
Government of Bihar,
Vikas Bhawan, Bailey Road,Patna-800001

Sub: **Revised** Additional allocation of central fund to the Government of Bihar through SNA-SPARSH fo development of fisheries in the State under the 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana(PMMSY): A scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsibledevelopment of fisherie sector in the Country during the financial year 2025-26- reg

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President for allocation of central financial assistance of **20,00,00,000/- (Twenty crore only)** to the Government of Bihar during the financial year 2025-26 for developme of fisheries in the State to cover for the General, Scheduled Caste and Scheduled Tribe beneficiaries under th 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): A scheme to bring about Blue Revolution through sustainabl and responsible development of fisheries sector in India'. The allocation of Rs. 2000.00 lakh shall be marked i PFMS. The earlier Mother sanction issued vide letter of even number dated 3rd September,2025 may please b treated as **Null and void.**

2. The Administrative Approval for implementation of 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) for 2025-26 has been notified vide this Ministry's letter No. J-01013/81/2024- Fy dated 31st March, 2025.

3. The Administrative Approval of Government of India to the various approved proposals of Government o Bihar for development of fisheries in the State under the PMMSY vis a vis corresponding amount of Mothe Sanction is as under:

(Rs. In lakh)

Sl No.	Details of the Projects	TPC	Central Share	Mother sanction
1	Fishery Development Projects of FY 2020-21 dated 25-08-2020 and 11-03-2021	18333.00	5864.24	**543.00** [Gen-330.00+SC-182.00+ST-31.00]
2	Fishery Development Project under PMMSY of FY 2021-22 dated 30-09-2021	6766.50	2008.62	**254.00** [Gen-195.00+SC-51.00+ST-8.00]
3	Fishery Development Project of FY 2022-23 dated 11-08-2022	2780.00	809.592	**177.00** [Gen-153.00+SC-21.00+ST-3.00]
4	Fishery Development Project of FY 2023-24 dated 24-07-2023	21609.00	6294.27	**946.50** [Gen-751.50+SC-185.00+ST-10.00]
5	Fishery Development Project of FY 2024-25 dated 12-08-2024	503.00	155.64	**42.00** [Gen-29.00+SC-8.00+ST-5.00]
6	PMMSY- Addl Integrated Reservoir and Wholesale Market during 2024-25 dated 27-12-2024	2471.48	1482.88	Nil
7	DAJGUA 2024-25 dated 25.03.2025	138.00	75.00	37.50(ST)
	Total	**52600.98**	**16690.242**	**2000.00**

4197
18/9/25

(94)

4. The financial assistance to Department of Fisheries, Government of Bihar may be restricted to **Rs. 1458.50** for General, **Rs. 447.00 lakh** for SCSP and **Rs. 94.50 lakh** for TSP beneficiaries respectively. The state Government may raise the demand on PFMS for development of various fisheries developmental projects under PMMSY. The funds on category may change based on the actual requirement by the state on time to time and may incur expenditure of fund allocated in a year to another year irrespective of fund earmarked for 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 for speedy implementation of ongoing Projects under PMMSY.

5. The Government of Bihar shall ensure compliance of the terms and conditions stipulated in the approvals mentioned in para-2 to 4 above.

6. The allocation of central funds is subject to the following terms and conditions:

a) The sanction of aforementioned amount will be governed by the provisions of the General Financial Rules (GFR), 2017 as amended from time-to-time.

b) The Government of Bihar will furnish Utilization Certificate (UC) as per prescribed proforma under GFR-2017 in respect of the central grant released and utilized for implementation of the approved project.

c) The accounts regarding release of funds and their utilization shall be open to inspection by the Sanctioning Authority and Audit, both by the Comptroller & Auditor General of India and internal audit of the Principal Accounts Office of this Ministry.

7. The State Government will maintain the details of beneficiaries covered under the PMMSY indicating name, Aadhaar number and mobile number, account number, fund transferred etc., and furnish the same as and when required to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

8. The Government of Bihar will ensure to follow the norms of administrative approval at the time of implementation of the project and upload the list of beneficiaries (component-wise) on their website.

9. The Government of Bihar will ensure that the expenditure incurred on implementation of the approved project is strictly in accordance with the provisions of GFR 2017.

10. This sanction issues in exercise of the powers conferred on this Department in consultation with the Integrated Finance Division (IFD) vide their U.O No. 17011/AS&FA/2025 at Note ID#345 dated 01-09-2025.

Yours faithfully,

(Rakesh Kumar)
Deputy Commissioner (Fisheries)
Tele- 011-2371 2390

Copy to:

1. The Chief Executive, National Fisheries Development Board (NFDB), Fish Building, Near Pillar No. 235, P.V.N.R Express Way, National Police Academy Post, Rajendra Nagar, Hyderabad-500 052, (Fax No.040-24015552/ 24015568).
2. The Secretary, Planning Department, Government of Bihar, Secretariat, Patna- 80001.
3. The Secretary, Finance Department, Government of Bihar, Secretariat, Patna- 80001.
4. The Director of Fisheries, Government of Bihar, Directorate of Fisheries, Officer's Hostel, Block-A, Bailey Road, Patna-800 001.
5. The Accountant General, Patna, Bihar-800 001.
6. The Principal Accounts Officer, Department of Fisheries, MoFAHD, 1st Floor, Jeevantara Building, Parliament Street, New Delhi – 110011.
7. Integrated Finance Division, DoF, MoFAH&D, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.
8. Fisheries Budget Section, DoF, MoFAH&D, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.
9. Guard file.

(Rakesh Kumar)
Deputy Commissioner (Fisheries)